हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 20 अप्रैल, 2007

संख्या सी.सी.पी.(एन.सी.आर.)/एन.टी.(एस.जी.-पी.एन.पी.)/6/सी.ए./2007/1619.—पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 4 की उप—धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हिरयाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट तथा इससे संलग्न योजना में दर्शाये गये अनुसार जिला पानीपत के क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियंत्रित क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं, अर्थात्:

अनुसूची

जिला पानीपत के नियंत्रित क्षेत्र की सीमाओं की अनुसूची को ड्राईग संख्या डी.टी.पी.(पी.एन.)305/2006, दिनांक 04 मई, 2006 के साथ पढ़ा ज़ाए।

- उत्तर: बिन्दु 'ए', जो कि गांव देहरा (हदबस्त संख्या 85), गांव महावटी (हदबस्त संख्या 89) तथा गांव बसाड़ा (हदबस्त संख्या 90) की राजस्व सीमाओं का तिरहा है, से प्रारम्भ करते हुए पूर्व की ओर गांव बसाड़ा (हदबस्त संख्या 90) की उत्तरी राजस्व सीमा के साथ—साथ बिन्दु 'बी' तक, जो कि गाँव काकरोली (हदबस्त संख्या 84), गांव राकसेड़ा (हदबस्त संख्या 91) तथा गांव बसाड़ा (हदबस्त संख्या 90) की राजस्व सीमाओं का तिरहा है।
- पूर्वः तत्पश्चात् बिन्दु 'बी' से दक्षिण की ओर गांव बसाड़ा (हदबस्त संख्या 90) की पूर्वी राजस्व सीमा के साथ—साथ उस बिन्दु तक जहां यह गांव राकसेड़ा (हदबस्त संख्या 91) की आयत संख्या 107 की पूर्वी सीमा से मिलती है, तत्पश्चात् दक्षिण की ओर गांव राकसेड़ा (हदबस्त संख्या 91) की आयत संख्या 107, 142, 146 तथा 179 की पूर्वी सीमा के साथ—साथ बिन्दु 'सी' अर्थात् गांव राकसेड़ा (हदबस्त संख्या 91) की आयत संख्या 179 के दक्षिण—पूर्व कोने तक।
- दक्षिण: तत्पश्चात् बिन्दु 'सी' से पश्चिम की ओर गांव राकसेड़ा (हदबस्त संख्या 91) की आयत संख्या 179, 180 तथा 181 की दक्षिणी सीमा के साथ—साथ उस बिन्दु तक जहां यह राकसेड़ा (हदबस्त संख्या 91) की दक्षिणी सीमा से मिलती है, तत्पश्चात् उत्तर—पश्चिम की ओर गांव राकसेड़ा (हदबस्त संख्या 91) तथा गांव बसाड़ा (हदबस्त संख्या 90) की दक्षिणी राजस्व सीमाओं के साथ—साथ बिन्दु 'डी' तक, जो कि गांव महावती (हदबस्त संख्या 89) तथा गांव बसाड़ा (हदबस्त संख्या 90) की राजस्व सीमाओं तथा जिला सोनीपत की जिला सीमा का मिलन बिन्दु हैं।

पश्चिमः तत्पश्चात् बिन्दु 'डी' से उत्तर की ओर गांव बसाड़ा (हदबस्त संख्या 90) की पश्चिम राजस्व सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'ए' तक, जो कि प्रारम्भिक बिन्दु है।

> शकुन्तला जाखू, वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 20th April, 2007

No. CCP (NCR)/NT(SG-PNP)/6/CA/2007/1619.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), the Governor of Haryana hereby declares the area in district Panipat as specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto, to be a controlled area for the purpose of the said Act, namely:-

Schedule

Schedule of boundary of the controlled area in district Panipat to be read with drawing no. DTP(PN)305/2006, dated the 4th May, 2006.

North: Starting from point "A", i.e. the tri-junction of revenue boundaries of village Dehra (Hadbast no. 85), village Mahavati (Hadbast no. 89) and village Basara (Hadbast no. 90), towards east along northern revenue boundary of village Basara (Hadbast no. 90) up to point "B" i.e. the tri-junction of revenue boundaries of village Kakroli (Hadbast no. 84), village Rakashera (Hadbast no. 91) and village Basara (Hadbast no. 90).

East: Thence moving from point "B" towards south along the eastern revenue boundary of village Basara (Hadbast no. 90) up to point where it meets with eastern boundary of rectangle no. 107 of village Rakashera (Hadbast no. 91), thence towards south along the eastern boundary of rectangle no. 107, 142, 146 and 179 of village Rakashera (Hadbast no. 91) up to point "C" i.e. south-east corner of rectangle no. 179 of village Rakashera (Hadbast no. 91).

South: Thence moving from point "C" towards west along southern boundary of rectangle no. 179, 180 and 181 of village Rakashera (Hadbast no. 91) up to the point where it meets the southern boundary of village Rakashera (Hadbast no. 91), thence towards north-west along the southern revenue boundaries of village Rakashera (Hadbast no. 91) and village Basara (Hadbast no. 90) up to the point "D" i.e. the meeting point of revenue boundaries of village Mahavati (Hadbast no. 89) and village Basara (Hadbast no. 90) with the district boundary of district Sonepat.

West: Thence moving from point "D" towards north along western revenue boundary of village Basara (Hadbast no. 90) up to point "A" i.e. the point of start.

SHAKUNTLA JAKHU.

Financial Commissioner and Principal Secretary to Government Haryana, Town and Country Planning Department.